भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CH 690652

## —: अनुबंध पत्र :—

यह अनुबन्ध **मे0 ज्योति इन्टरप्राइजेज, कालेपुर, पैडलेगंज, गोरखपुर** जिन्हें सेवाप्रदाता/ आपूर्तिकर्ता कहा जायेगा, प्रथम पक्ष तथा राज्यपाल उ0प्र0 शासन की ओर से **मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सयोजक/सदस्य सचिव, जिला स्वा0 समिति, चित्रकूट (द्वितीय पक्ष)** के **मध्य आज दिनॉक 07.03.2018** को निम्न शर्तो के अधीन निम्नानुसार निष्पादित किया जायेगा

---

1. वाहन उपलब्ध कराये जाने हेतु वाहन भाडा भुगतान धनराशि की 5 प्रतिशत राशि जमानतराशि के रूप में जिला स्वास्थ्य समिति चित्रकूट के पक्ष में बंधक रहेगी। अनुबन्ध की शर्तो में विचलन की स्थित में जमानत धनराशि से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी।
2. **सहयोगात्मक पर्यवेक्षण कार्यक्रम** के अन्तर्गत स्वीकृत निविदा दर रु0 32444.00 पर आवश्यकतानुसार 05 ब्लॉक चिकित्सा इकाईयों पर एक वाहन एवं जनपद मुख्यालय पर दो वाहन उपलब्ध कराये जायेगे, इसमें किसी भी प्रकार का विचलन स्वीकार नही होगा। वाहन प्रत्येक इकाई पर सहयोगात्मक पर्यवेक्षण कार्य हेतु प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे तक उपस्थित रहेगी।
3. सेवा प्रदाता द्वारा **सहयोगात्मक पर्यवेक्षण कार्यक्रम** के अतर्गत वाहन को माह मे कम से कम 1500 कि.मी0 चलाया जाना है, कम चलने पर अनुपातिक भुगतान किया जाएगा।
4. वाहन को चालू हालत में रखने हेतु समय समय पर इसकी मरम्मत व आवश्यक रखरखाव सेवा प्रदाता द्वारा किया जायेगा जिसकी नियमित जांच हेतु यदि कभी वाहन को गैरेज आदि भेजना पडे तो उस अवधि में सेवा प्रदाता को अन्य बैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। वाहन खराब होने की दशा में कार्यकम के संचालन हेतु तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था सेवा प्रदाता को करना अनिवार्य होगा तथा बैकल्पिक वाहन की व्यवस्था 24 घण्टे से अधिक समय में न होने पर रू0 1000.00 प्रतिदिन की दर से वाहन भाडा एंव रू0 300.00 प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड की कटौती की जायेगी।
5. वाहन क्षतिग्रस्त/तकनिकी खराबी होने की स्थिति मे अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को सेवा प्रदाता द्वारा लिखित सूचना देकर टैक्सी परमिट वाहन ही परिवर्तित किया जाएगा।
6. यह अनुबन्ध, इकरारनामा दिनांक 07.03.2018 से अधिकतम दो वर्ष के लिए होगी। दो वर्ष उपरान्त निविदा अनुबंध स्वतः ही समाप्त हो जाएगा।
7. निविदा में अंकित दरों पर ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी के मॉगपत्र के अनुसार सेवाप्रदाता/आपूर्तिकर्ता को निर्धारित स्थान एंव समयसीमा के अन्दर चार पहिया टैक्सी परमिट युक्त अच्छी स्थिति का वाहन मय ईधन तथा वाहन चालक सहित उपलब्ध कराना होगा।

8. वाहन उपलब्ध कराये जाने हेतु वाहन भाडा का भुगतान बजट की उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा तथा विलम्ब से भुगतान किये जाने पर सेवाप्रदाता द्वारा ब्याज/क्षतिपूर्ति की मॉग नही की जायेगी।
9. निविदा में जो दरें अनुमोदित की गयी है दिशानिर्देशानुसार निर्धारित दरो पर ही वाहन आपूर्ति करने की बाध्यता होगी अन्यथा की स्थिति में धरोहर/जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
10. आपूर्तिकर्ता को कोई भी अग्रिम धनराशि देय नही होगी बल्कि वाहन भाडा भुगतान हेतु देयक कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा। देयकों का भुगतान बजट की उपलब्धता के आधार पर पी0एफ0एम0एस0 जेनरेटेड डी0बी0टी0 पेमेन्ट एडवाइस द्वारा किया जायेगा।
11. शर्तो एंव प्रतिबन्धों के उल्लंघन पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को यह अधिकार होगा कि पूर्व सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त कर दें एंव फर्म की प्रतिभूति जब्त कर लें।
12. प्रतिभूति की धनराशि अनुबन्ध अवधि की समाप्ति के 06 माह बाद अथवा मुख्य चिकित्सा अधिकारी से अदेयता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर, जो भी बाद मे हो वापस कर दी जायेगी।
13. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को समस्त सामु0 स्वा0 केन्द्रो/जनपद मुख्यालय पर निम्नलिखित वाहन चलाने हेंतु अनुबंध किया जाता है।

| | वाहन संख्या |
|---|---|
| 1 | UP 53 ET 2456 |
| 2 | UP 53 ET 2457 |
| 3 | UP 53 CT 9538 |
| 4 | UP 53 DT 5575 |
| 5 | UP 53 DT 6316 |
| 6 | UP 53 DT 8201 |
| 7 | UP 53 DT 5209 |

दिनॉक – 7/03/18

स्थान –

M/s Jyoti Enterprises
Proprietor

हस्ताक्षर .....
(सेवाप्रदाता/आपूर्तिकर्ता ) प्रथम पक्ष

हस्ताक्षर ..... 7/3/18.
(मुख्य चिकित्सा अधिकारी संयोजक/सदस्य सचिव)
द्वितीय पक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, चित्रकूट

01. हस्ताक्षर गवाह – .....

01. हस्ताक्षर गवाह – ..... 7-3-18

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs.100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EC 608750

—: अनुबंध पत्र :—

यह अनुबन्ध **मे0 ज्योति इन्टरप्राइजेज, कालेपुर, पैडलेगंज, गोरखपुर** जिन्हें सेवाप्रदाता/ आपूर्तिकर्ता कहा जायेगा, प्रथम पक्ष तथा राज्यपाल उ0प्र0 शासन की ओर से **मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सयोजक/सदस्य सचिव, जिला स्वा0 समिति, चित्रकूट (द्वितीय पक्ष)** के **मध्य आज दिनॉक 07.03.2018** को निम्न शर्तो के अधीन निम्नानुसार निष्पादित किया जायेगा

---

1. वाहन उपलब्ध कराये जाने हेतु वाहन भाडा भुगतान धनराशि की 5 प्रतिशत राशि जमानतराशि के रूप में जिला स्वास्थ्य समिति चित्रकूट के पक्ष में बंधक रहेगी। अनुबन्ध की शर्तो में विचलन की स्थित में जमानत धनराशि से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी।
2. **सहयोगात्मक पर्यवेक्षण कार्यकम** के अन्तर्गत स्वीकृत निविदा दर रु0 32444.00 मे जनपद मुख्यालय पर दो वाहन उपलब्ध कराये जाने है, इसमें किसी भी प्रकार का विचलन स्वीकार नही होगा। वाहन जनपद मुख्यालय पर सहयोगात्मक पर्यवेक्षण कार्य हेतु प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे तक उपस्थित रहेगी।
3. सेवा प्रदाता द्वारा **सहयोगात्मक पर्यवेक्षण कार्यकम** के अतर्गत वाहन को माह मे 1500 कि.मी0 चलाया जाना है, कम चलने पर अनुपातिक भुगतान किया जाएगा।
4. वाहन को चालू हालत में रखने हेतु समय समय पर इसकी मरम्मत व आवश्यक रखरखाव सेवा प्रदाता द्वारा किया जायेगा जिसकी नियमित जांच हेतु यदि कभी वाहन को गैरेज आदि भेजना पड़े तो उस अवधि में सेवा प्रदाता को अन्य बैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। वाहन खराब होने की दशा में कार्यकम के संचालन हेतु तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था सेवा प्रदाता को करना अनिवार्य होगा तथा बैकल्पिक वाहन की व्यवस्था 24 घण्टे से अधिक समय में न होने पर रू0 1000.00 प्रतिदिन की दर से वाहन भाडा एंव रू0 300.00 प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड की कटौती की जायेगी।
5. वाहन क्षतिग्रस्त/तकनिकी खराबी होने की स्थिति मे अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को सेवा प्रदाता द्वारा लिखित सूचना देकर टैक्सी परमिट वाहन ही परिवर्तित किया जाएगा।
6. यह अनुबन्ध, इकरारनामा दिनांक 07.03.2018 से अधिकतम दो वर्ष के लिए होगी। दो वर्ष उपरान्त निविदा अनुबंध स्वतः ही समाप्त हो जाएगा।
7. निविदा में अंकित दरों पर ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी के मॉगपत्र के अनुसार सेवाप्रदाता/आपूर्तिकर्ता को निर्धारित स्थान एंव समयसीमा के अन्दर चार पहिया टैक्सी परमिट युक्त अच्छी स्थिति का वाहन मय ईधन तथा वाहन चालक सहित उपलब्ध कराना होगा।
8. वाहन उपलब्ध कराये जाने हेतु वाहन भाडा का भुगतान बजट की उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा तथा विलम्ब से भुगतान किये जाने पर सेवाप्रदाता द्वारा ब्याज/क्षतिपूर्ति की मॉग नही की जायेगी।
9. निविदा में जो दरें अनुमोदित की गयी है दिशानिर्देशानुसार निर्धारित दरो पर ही वाहन आपूर्ति करने की बाध्यता होगी अन्यथा की स्थिति में धरोहर/जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

10.आपूर्तिकर्ता को कोई भी अग्रिम धनराशि देय नही होगी बल्कि वाहन भाडा भुगतान हेतु देयक कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा। देयकों का भुगतान बजट की उपलब्धता के आधार पर पी0एफ0एम0एस0 जेनरेटेड डी0बी0टी0 पेमेन्ट एडवाइस द्वारा किया जायेगा।

11.शर्तो एंव प्रतिबन्धों के उल्लंघन पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को यह अधिकार होगा कि पूर्व सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त कर दें एंव फर्म की प्रतिभूति जब्त कर लें।

12.प्रतिभूति की धनराशि अनुबन्ध अवधि की समाप्ति के 06 माह बाद अथवा मुख्य चिकित्सा अधिकारी से अदेयता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर, जो भी बाद मे हो वापस कर दी जायेगी।

13.द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को जनपद मुख्यालय पर निम्नलिखित वाहन चलाने हेंतु अनुबंध किया जाता है।

| | वाहन संख्या |
|---|---|
| 1 | UP 53 DT 2693 (BOLERO) |
| 2 | UP 33 AR 3026 (BOLERO) |

दिनॉक – 05/07/18

स्थान –

हस्ताक्षर .....
(सेवाप्रदाता / आपूर्तिकर्ता ) प्रथम पक्ष

हस्ताक्षर .....
(मुख्य चिकित्सा अधिकारी संयोजक / सदस्य सचिव)
द्वितीय पक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, चित्रकूट

01. हस्ताक्षर गवाह – .....

01. हस्ताक्षर गवाह – .....

प्रेषक,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
चित्रकूट।

सेवा मे,

मिशन निदेशक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक : मु0चि0अ0 / एन0एच0एम0 / सहयो0पर्य0 रिर्पोट / 2018–19 / 2841 (3) दिनांक : 20/7/18

**विषय : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत गतिविधियों का जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा अनुश्रवण एवं वाहन की सूचना के सम्बन्ध में।**

महोदय,

मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या एस0पी0एम0यू0 / एन0एच0एम0 / एम0एण्ड0ई0 / 2018–19 / 01 / 3885–75 दिनांक 17.07.2018 के कम में अवगत कराना है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित गतिविधियों का जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा अनुश्रवण नियमित रुप से किया जा रहा है। जनपद मुख्यालय पर सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु वाहन की उपलब्धता ई निविदा प्रकिया द्वारा माह जुलाई 2018 मे सुनिश्चित कर ली गयी है, जिससे प्रभावी रुप से पर्यवेक्षण का कार्य किया जा रहा है।

ब्लॉक एवं जनपद में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु वाहन की उपलब्धता का विवरण निर्धारित प्रारुप पर निम्नानुसार है:–

**Supprtive Supervision Vehicle Hiring- Block wise Information 2018-19**

| S.N. | Name of Division | Name of District | Block Name | Vehicle No | Date of Hiring | Agreement copy Attached |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chitrakootdham mandal Bada | Chitrakoot | Manikpur | UP96F- 7374 | 01.04.2018 | Attached |
| 2 | | | Mau | UP56T- 7883 | 01.05.2018 | |
| 3 | | | Ramnagar | UP66T- 6380 | 01.04.2018 | |
| 4 | | | Pahari | UP96B- 1074 | 01.04.2018 | |
| 5 | | | Shivrampur | UP96T- 1265 | 01.05.2018 | |

**Supprtive Supervision Vehicle Hiring- District level Information 2018-19**

| S.N. | Name of District | Name of Agreement Signing officer | Vehicle No-1 | Date of Hiring | Vehicle No-2 | Date of Hiring | Agreement copy Attached |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chitrakoot | CMO Chitrakoot | UP53DT- 2693 | 05.07.2018 | UP33AR- 3026 | 05.07.2018 | Attached |

संलग्नक – अनुबन्ध की प्रति।

20/7/18
मुख्य चिकित्सा अधिकारी
चित्रकूट।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महाप्रबन्धक, एम0एण्ड0ई0 एस0पी0एम0यू0 उ0प्र0 लखनऊ।
2. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण चित्रकूटधाम मण्डल बांदा।
3. अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, (आर0सी0एच0) चित्रकूट।

20/7/18
मुख्य चिकित्सा अधिकारी
चित्रकूट।

TIN N[illegible]18614664

9648835448
9451002584

# M/s JYOTI ENTERPRISES

All type of work Contracts & Supplyers

Office : Kalepur, Paidleganj, Gorakhpur

Ref. No. ज.ई/2018-19/सीएचसी/119 Date 25/06/18

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी
जनपद–चित्रकूट

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जनपद चित्रकूट में आर0बी0एस0के0 व सपोर्टिंग सूपरविजन के अन्तर्गत वाहन संचालित करने हेतु मेसर्स ज्योति इण्टरप्राइजेज गोरखपुर का अनुबन्ध किया गया है। अनुबन्ध के अनुसार चलाये जा रहे वाहनों में कुछ स्वास्थ्य केन्द्रो पर वाहन का परिवर्तन किया गया है। तथा वर्तमान में चलाये जा रहे टैक्सी परमिट वाहनों का विवरण निम्नवत है। जिसकी सूचना आपको सादर प्रेषित की जा रही है।

| क्र. स. | सामु0स्वा0केन्द्र का नाम | आर0बी0एस0के0–1 | आर0बी0एस0के0–1 | सपोर्टिंग सुपरविजन |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मऊ | UP53 DT5409 | UP53 DT5408 | UP56 T7883 |
| 2 | मानिकपुर | UP96 A9586 | UP53 ET1738 | UP96 F7374 |
| 3 | पहाड़ी | UP53 DT5781 | UP53 ET2458 | UP96 B1074 |
| 4 | रामनगर | UP96 B6665 | -- | UP66 T6380 |
| 5 | शिवरामपुर | UP53 DT0881 | UP53 DT5575 | UP96 T1265 |

संलग्नकः उपरोक्त टैक्सी परमिट वाहनों का समस्त प्रपत्र।
(रजिस्ट्रेशन, परमिट, फिटनेस, इन्स्यूरेश)

M/s Jyoti Enterprises

Proprietor